



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239305
CG-DL-E-03102022-239305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4400]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4400]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4597 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1643 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4597 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

“**Note :** For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1643(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4598 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण), 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1644 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4598 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023.”

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number 1644(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4599 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्टाइरीन(विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1645 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4599 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023.”

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1645(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4600 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1646 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4600 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Acrylonitrile (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023.”

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1646(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4601 (अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्- :

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

2. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1647 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4601 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1647(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4602 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1648 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4602 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Amendment Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
2. In the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”
3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
“Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022, *vide* number S.O. 1648(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4603 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (एफ डी वाई)	आईएस 17261:2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न - विनिर्देश

टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1649 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4603 (E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (FDY)	IS 17261:2022	Textile-Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarns - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1649(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4604 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पी ओ वाई)	आईएस 17262: 2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई)- विनिर्देश

टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1650 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4604 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Partially Oriented Yarns (POY)	IS 17262:2022	Textile - Polyester Partially Oriented Yarns (POY) - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1650(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4605 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पी एस एफ)	आईएस 17263:2022	टेक्सटाइल - पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स - विनिर्देश

टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1651 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4605 (E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Staple Fibres (PSF)	IS 17263:2022	Textile - Polyester Staple Fibres - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1651(E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4606 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (आई डी वाई)	आईएस 17264: 2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1652 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4606 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Industrial Yarn (IDY)	IS 17264:2022	Textile - Polyester Industrial Yarn - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1652 (E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4607 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (पी एस वाई)	आईएस 17265:2022	टेक्सटाइल - 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न - विनिर्देश

टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1653 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4607(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY)	IS 17265:2022	Textile - 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1653 (E), dated the 5th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4608 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स	आईएस16481:2022	टेक्सटाइल्स- सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स - विनिर्देश

टिप्पण : सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय - समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।”

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1654 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4608 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023.”

3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

“TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix	IS 16481:2022	Textile - Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix - Specification

Note : For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1654 (E), dated the 5th April, 2022.